GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
LAW & LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT
D.K.S.BHAWAN,MANTRALAYA,RAIPUR.

NOTIFICATION

Raipur, dated 8 -08-07

F.No. 6912/D-2339/XXI-B/C.G./07,- In exercise of the powers conferred by section 3 of the Family Courts Act, 1984 (No.66 of 1984), the State Government in consultation with the High Court of Chhattisgarh, makes following further amendment in department notification No.1507/D-359/XXI-B/C.G./05, dated 24.2.2005 (as amended vide department Notification 7169/F-2157/XXI-B/C.G./05, dated 6-9-2005 & No.5813/D-2084/XXI-B/C.G./07, dated 09-07-2007), namely;-

AMENDMENT

In Schedule-II of the said notification;-

1. For the entry in column no. 3 & 4, against serial no.5, the following shall be substituted, namely;-

S.No.	Name of the Court and District.	Headquarters	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)
		(a) Durg.	(a) Revenue District,Durg Note: He shall try the cases transferred by the Principal Judge,Family Court, Durg.
		(b) Additional place of sitting at Balod for a week in the second week of every month.	(b) Territorial jurisdiction of Civil Court,Balod.

2. For the entry in column no.3 and 4, against serial no. 5-A, the following shall be substituted, namely;

(a) Durg.	(a) Revenue District,Durg Note: He shall try the cases transferred by the Principal Judge,Family Court, Durg.

(1)	(2)	(3)	(4)
		(b) Additional place of sitting at Bemetara for a week in the second week of every month.	(b)Territorial jurisdiction of Civil Court,Bemetara.

3. For the entry in column no.3 and 4, against serial no. 7, the following shall be substituted, namely;-

(a) Korba	(a) Revenue District Korba excluding the jurisdiction of Court at Katghora.
(b) Additional place of sitting at Katghora for a week in the second week of every month.	(b)Territorial jurisdiction of Civil Court,Katghora.

4. For the entry in column no.3 and 4, against serial no. 11, the following shall be substituted, namely;-

(a) Janjgir	(a) Revenue District Janjgir-Champa excluding the jurisdiction of the Court of Sakti.
(b) Additional place of sitting at Sakti for a week in the second week of every month.	(b)Territorial jurisdiction of Civil Court, Sakti.

5. For the entry in column no.3 and 4, against serial no. 12, the following shall be substituted, namely;-

(a) Rajnandgaon.	(a) Revenue District Rajnandgaon excluding the

(1)	(2)	(3)	(4)
			jurisdiction of the courts of Ambagarh Chowki, Dongargarh and Khairagarh.
		(b) Additional place of sitting at Khairagarh for a week in the second week of every month.	(b)Territorial jurisdiction of Civil Court, Khairagarh.

फा0 क0 /डी–2339/21–ब/छ0ग0/07,– कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (कमांक 66 सन् 1984) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के परामर्श से विभाग की अधिसूचना कमांक 1502/डी –397/21–ब/छ0ग0/05, दिनांक 24.02.05 (संशोधित समसंख्यक विभागीय अधिसूचना कामंक 7169/एफ–2157/21–ब/छ0ग0/05, दिनांक 06.09.05 एवं कमांक 5813/डी–2084/21–ब/छ0ग0/07, दिनांक 09.07.07 के अनुसार) में पुनः निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

<u>संशोधन</u>

उक्त अधिसूचना के अनुसूची–दो में,–

2. सरल कमांक 5 के सम्मुख, कॉलम नं0 3 एवं 4 में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्–

अनु0क0	न्यायालय का नाम एवं जिला.	मुख्यालय	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)
		(क) दुर्ग	(क) राजस्व जिला दुर्ग, टीपः– वह प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग द्वारा अंतरित मामलों का विचारण करेगा ।

(1)	(2)	(3)	(4)
		(ख) बैठने का अतिरिक्त स्थान बालौद, प्रत्येक माह के द्वितीय सप्ताह में एक सप्ताह के लिए.	(ख) व्यवहार न्यायालय, बालौद का स्थानीय क्षेत्राधिकार.

2. सरल कमांक 5–क के सम्मुख, कॉलम नं0 3 एवं 4 में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्–

		(क) दुर्ग	(क) राजस्व जिला दुर्ग, टीपः– वह प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग द्वारा अंतरित मामलों का विचारण करेगा ।
		(ख) बैठने का अतिरिक्त स्थान बेमेतरा, प्रत्येक माह के द्वितीय सप्ताह में एक सप्ताह के लिए.	(ख) व्यवहार न्यायालय, बेमेतरा का स्थानीय क्षेत्राधिकार.

3. सरल कमांक 7 के सम्मुख, कॉलम नं0 3 एवं 4 में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्–

		(क) कोरबा	(क) राजस्व जिला कोरबा, कटघोरा न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर ।
		(ख) बैठने का अतिरिक्त स्थान कटघोरा, प्रत्येक माह के द्वितीय सप्ताह में एक सप्ताह के लिए.	(ख) व्यवहार न्यायालय, कटघोरा का स्थानीय क्षेत्राधिकार.

(1)	(2)	(3)	(4)

4. सरल कमांक 11 के सम्मुख, कॉलम नं0 3 एवं 4 में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्–

		(क) जांजगीर	(क) सक्ती न्यायालय, के क्षेत्राधिकार को छोड़कर राजस्व जिला जांजगीर–चांपा।
		(ख) बैठने का अतिरिक्त स्थान सक्ती, प्रत्येक माह के द्वितीय सप्ताह में एक सप्ताह के लिए.	(ख) व्यवहार न्यायालय, सक्ती का स्थानीय क्षेत्राधिकार.

4. सरल कमांक 12 के सम्मुख, कॉलम नं0 3 एवं 4 में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्–

		(क) राजनांदगांव	(क) अंबागढ़ चौकी, डोंगरगढ़ एवं खैरागढ़ के न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर राजस्व जिला राजनांदगांव.
		(ख) बैठने का अतिरिक्त स्थान खैरागढ़, प्रत्येक माह के द्वितीय सप्ताह में एक सप्ताह के लिए.	(ख) व्यवहार न्यायालय, खैरागढ़ का स्थानीय क्षेत्राधिकार.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(टी0 पी0 शर्मा) 8.8.07

प्रमुख सचिव

छ0ग0 शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृष्ठांकन क्र0 6912/डी0–2339/21–ब/छ0ग0/07, रायपुर, दिनांक 8.08.2007

प्रतिलिपिः–

1. रजिस्ट्रार जनरल, छ0ग0 उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर उनके पत्र कमांक 5246/तीन–8–2/2001, दि0 30.7.07 के संदर्भ में,

2. (अ) प्रधान न्यायाधीश/द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश/तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग, छ0ग0,
   (ब) न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, कोरबा, छ0ग0,
   (स) न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जॉजगीर–चॉपा, छ0ग0,
   (द) न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राजनांदगांव, छ0ग0

3. मान0 विधिमंत्री जी के निज सचिव की ओर विधिमंत्री जी के अवलोकनार्थ,

4. प्रमुख सचिव, विधि महोदय के निज सचिव की ओर प्रमुख सचिव, विधि के अवलोकनार्थ,

5. उप संचालक, शासन क्षेत्रीय मुद्धणालय, राजनांदगांव, छ0ग0 की ओर छत्तीसगढ़ राजपत्र (आसाधारण) के आगामी अंक में अनिवार्य रुप से प्रकाशित कर उसकी 20 प्रतियॉ इस विभाग को भेजने हेतु,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(ए0 के0 सामंत राय)
अतिरिक्त सचिव
छ0ग0शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग